



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 18, 2019/ज्येष्ठ 28, 1941

No. 125]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 18, 2019/JYAISTHA 28, 1941

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2019

आ.अ. 138(अ).—यतः, गुजरात राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा में निर्वाचित शाह अमितभाई अनिलचंद्र का स्थान जिनकी पदावधि 18.08.2023 सहित उस तारीख तक थी के समाप्त होने से पूर्व उनके लोक सभा में उनका निर्वाचन हो जाने के कारण 23.05.2019 से रिक्त हो गया है; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराना है;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 147, धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा-

(अ) गुजरात राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 9 जुलाई 2019 से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्दीन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के अनुसार राज्य सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में :-

- | | |
|---|--------------------------------|
| (क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख | - 25 जून, 2019 (मंगलवार); |
| (ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख | - 26 जून, 2019 (बुधवार); |
| (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख | - 28 जून, 2019 (शुक्रवार); |
| (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा | - 5 जुलाई, 2019 (शुक्रवार); और |
| (ङ.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा | - 9 जुलाई, 2019 (मंगलवार); |

नियत करता है;

और

(इ) 9.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो, विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

[सं. 100/रा.स.- गुजरात/1/2019(1)]

आदेश से,

वरिन्दर कुमार, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th June, 2019

O.N. 138(E).—WHEREAS, the seat of Shah Amitbhai Anilchandra in the Council of States, elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Gujarat, has become vacant on 23.05.2019 by the reason of his election to the House of the People, before the expiration of his term of office which was up to and including 18.08.2023; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

NOW, THEREFORE, in pursuance of section 147, sub-section (1) of section 39 and section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

- (A) **calls upon** the elected members of the Legislative Assembly of the State of Gujarat to elect, before 09th July, 2019, and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Council of States;
- (B) **appoints**, with respect to the said election;
- (a) the 25th June, 2019 (Tuesday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 26th June, 2019 (Wednesday), as the date for the scrutiny of the nominations;
 - (c) the 28th June, 2019 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - (d) the 05th July, 2019 (Friday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 - (e) the 09th July, 2019 (Tuesday), as the date before which the election shall be completed;
- and
- (C) **fixes the hours** from **9:00 a.m. to 4:00 p.m.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

[No. 100/CS-GJ/1/2019(1)]

By Order,

VARINDER KUMAR, Principal Secy.